–: निर्णय :–

आज दिनांक 09.05.2026 को घोषित

1. अभियुक्त के विरूद्ध मो0व्ही0ए0 की धारा 130(3)/177 का अभियोग है।

2. अभियुक्त को उक्त अपराध की विशिष्टियां पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर अभियुक्त द्वारा स्वेच्छयापूर्वक अपना अपराध स्वीकार किया गया है। अतः अभियुक्त को उपरोक्त अपराध में दोषसिद्धि घोषित किया जाता है।

3. अपराध की प्रकृति व स्वरूप को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ प्रदान किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। अतएव दंड के प्रश्नों पर विचार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व दोषसिद्धि का आरोप विरचित नही किया गया है। अतः अभियुक्त को आयु, उसे पूर्ववत्त, अपराध की प्रकृति एवं प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार करते हुए अभियुक्त को धारा 130(3)/177 मोटरयान अधिनियम के अपराध में 100/– रूपये के अर्थदंड से तथा अर्थदंड अदायगी के व्यतिक्रम पर अपराध हेतु 10 दिवस के साधारण कारावास से दंडित किया जाता है।

4. अभियुक्त को अर्थदंड अदायगी के व्यतिक्रम में कारावास की सजा एक साथ भुगतायी जाये।

5. प्रकरण में जप्तशुदा वाहन को उसके स्वामी को प्रदान किया जाये। अपील अवधि पश्चात अपील होने की दशा में उक्त जप्तशुदा संपत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाये।

6. अभियुक्त द्वारा अभिरक्षा में बितायी गयी अवधि निरंक है।

निर्णय दिनांकित हस्ताक्षरित तत्पश्चात घोषित।

सही/–

(प्रेरणा वर्मा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

कटघोरा जिला कोरबा छ0ग0

मेरे निर्देशानुसार टंकित

सही/–

(प्रेरणा वर्मा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

कटघोरा जिला कोरबा छ0ग0